

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 16/2025	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमे जारी हुए
22-4-2025	<p>पत्रावली आज पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही उपस्थित। प्रतिवादी रुपसिंह पुत्र उदयसिंह जी राजपुरोहित, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स सुरेश स्वीट होम, सदर बाजार, आबूरोड़, जिला- सिरौही उपस्थित।</p> <p>आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही द्वारा दिनांक 16-8-2024 को मैसर्स सुरेश स्वीट होम, सदर बाजार, आबूरोड़, जिला- सिरौही में प्रतिवादी रुपसिंह पुत्र उदयसिंह जी राजपुरोहित से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध चीनी से बनी मिठाई) का नमूना संख्या S-2387, खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1229/Act/2024/1267 दिनांक 04-9-2024 में अमानक (Sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 22-4-2025 को प्रतिवादी रुपसिंह पुत्र उदयसिंह जी राजपुरोहित ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण के निस्तारण का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी रुपसिंह पुत्र उदयसिंह जी राजपुरोहित को दिनांक 22-4-2025 को ही सुना गया। प्रतिवादी ने अनुरोध किया कि वह बाहर से कच्चा मावा लाकर कलाकन्द बनाता है, जिसमें उसने कोई मिलावट नहीं की है। यह उसका प्रथम अपराध है। उसने दुकान बन्द कर दी है। अतः कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करावे।</p> <p>हमने पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही, दिनांक 16-8-2024 को समय 12-30 पी.एम. पर खाद्य पदार्थों के निरीक्षण हेतु मैसर्स सुरेश स्वीट होम, सदर बाजार, आबूरोड़, जिला- सिरौही पर गये। वहां पर विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी रुपसिंह पुत्र उदयसिंह जी राजपुरोहित उपस्थित मिले। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा मैसर्स सुरेश स्वीट होम, सदर बाजार, आबूरोड़ के निरीक्षण के दौरान दुकान के अन्दर एक स्टील की ट्रे में लगभग 15 किलोग्राम खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध, चीनी से निर्मित मिठाई) आमजन के बिक्री हेतु रखी हुई पाई, जिसमें मिलावट का शक होने पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, .....लगातार</p>	<p>22-4-2025</p> <p><i>(Handwritten signature)</i></p>



प्रति. जिला मजिस्ट्रेट  
सिरौही-307001.

तारिख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
F.S.S.Act Case No. 16/2025



नम्बर व तारिख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामिलमें  
जारी हुए

2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की सूचना प्रतिवादी रुपसिंह पुत्र उदयसिंह जी राजपुरोहित को गवाह श्री जोनी पुत्र लालाराम जी ग्रासिया, ग्राम गिरवर, तहसील- आबूरोड़, जिला- सिरौही के समक्ष प्रतिवादी रुपसिंह पुत्र उदयसिंह जी राजपुरोहित को प्रपत्र 5ए में भरकर दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने मैसर्स सुरेश स्वीट होम, सदर बाजार, आबूरोड़, जिला- सिरौही में आमजन की बिक्री हेतु स्टील की ट्रे रखे हुए लगभग 15 किलोग्राम खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध, चीनी से निर्मित मिठाई) में से 02 किलोग्राम खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध, चीनी से निर्मित मिठाई) को एक साफ, सूखे, खाली भिगोने में तुलवाकर खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 800/- (अक्षरे रुपये आठ सौ मात्र) प्रतिवादी रुपसिंह पुत्र उदयसिंह जी राजपुरोहित को अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। जिस पर प्रतिवादी विक्रेता रुपसिंह पुत्र उदयसिंह जी राजपुरोहित, उक्त गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव के हस्ताक्षर किये हुये हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी विक्रेता रुपसिंह पुत्र उदयसिंह जी राजपुरोहित व उक्त गवाह को चार साफ, सूखी व खाली प्लास्टिक की शीशीयों को दिखाकर उक्त खरीदशुदा कलाकन्द (दूध, चीनी से निर्मित मिठाई) को हिला मिलाकर एकरूप कर चारों शीशीयों में बराबर-बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक नमूना शीशी में फार्मलीन की 40-40 बूंदे डालकर चारों शीशीयों को ढक्कनों से एयरटाइट बन्द किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी के कोड व क्रमांक S-2387, नमूना लेने की तारीख, स्थान व खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध चीनी से बनी मिठाई) के नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक लेबल पर प्रतिवादी रुपसिंह पुत्र उदयसिंह जी राजपुरोहित, उक्त गवाह के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना शीशीयों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना शीशी को कागज में लपेट कर विधिवत कार्यवाही करते हुए नियमानुसार सील चपडी किया और चारों नमूना भागों को अपने में कब्जें में लेकर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता रुपसिंह पुत्र उदयसिंह जी राजपुरोहित व उक्त गवाह के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव स्वयं ने हस्ताक्षर किये गये। तत्पश्चात् श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध, चीनी से निर्मित मिठाई) के नमूना संख्या S-2387 का एक नमूना भाग श्री महेश परिहार, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को दिनांक 23.08.2024 को जमा करवाया तथा शेष तीन नमूना भाग मय फार्म नं. 6 के बन्द

.....लगातार



वति. जिला मजिस्ट्रेट  
सिरौही-307001.

तारिख हुक्म	<p style="text-align: center;"><b>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</b> <b>F.S.S.Act Case No. 16/2025</b></p>	<p>गम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए</p>
	<p>लिफावा दिनांक 16.8.2024 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही को जमा करवाया। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध, चीनी से निर्मित मिठाई) के नमूना संख्या S-2387 की प्राप्त विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1229/Act/2024/1267 दिनांक 04-9-2024 में खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध, चीनी से निर्मित मिठाई) का नमूना संख्या S-2387 अमानक (Sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी रुपसिंह पुत्र उदयसिंह जी राजपुरोहित, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स सुरेश स्वीट होम, सदर बाजार, आबूरोड़, जिला- सिरौही द्वारा अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध, चीनी से निर्मित मिठाई) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।</p> <p>अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 51 के तहत अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध, चीनी से निर्मित मिठाई) (नमूना संख्या S-2387) के विक्रय हेतु प्रतिवादी रुपसिंह पुत्र उदयसिंह जी राजपुरोहित, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स सुरेश स्वीट होम, सदर बाजार, आबूरोड़, जिला- सिरौही पर राशि रुपये 35,000/- (अक्षरे रुपये पैंतीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। प्रतिवादी रुपसिंह पुत्र उदयसिंह जी राजपुरोहित, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स सुरेश स्वीट होम, सदर बाजार, आबूरोड़, जिला- सिरौही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के पक्ष में <b>Crossed Demand Draft</b> जिसका भुगतान सिरौही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 23-5-2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">   <b>(डॉ. दिनेश राय सापेला)</b>  <b>पात. जिला मजिस्ट्रेट</b>  <b>सिरौही-307001.</b> </p>	